

# विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2012

जुलाई-2012

## शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(शिक्षा)11/2011	क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, हजारीबाग तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी चतरा पर अनियमितता के आरोप ।	07.07.2012	परिवादी द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक के प्रतिवेदन अपनी सहमति जतायें जाने के फलस्वरूप परिवाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)24/2011	श्री विशेश्वर दयाल, पिता स्व० छोटु साव साकिन बोड़ो गिरीडिह का सेवा काल में मिलने वाला लाभ सेवानिवृत्त के बाद भी नहीं मिलने के संबंध में ।	07.07.2012	माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवादी के सेवा सम्पुष्टि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से होने का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है अतः परिवादी को कालबद्ध पदोन्नती का लाभ नहीं मिल सकता के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कारवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(शिक्षा) 20/2011	रिश्वत नहीं देने के कारण सामुदायिक शिक्षा के पद से हटा देने की शिकायत ।	07.07.2012	उपायुक्त चतरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कारवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	01/लोक(शिक्षा)08/2011	उत्कर्मित प्राथमिक विद्यालय रेम्बा जमुआ गिरीडिह में पाराशिक्षक चयन में अनियमितता बरतने के संबंध में ।	09.07.2012	परिवादी पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है ऐसी दशा में परिवाद पोषणीय नहीं है ।
5.	01/लोक(शिक्षा)08/2009	श्री पूर्णानन्द सिंह जिला शिक्षा अधीक्षक जमशेदपुर एवं उनके सहायक श्री अयोध्या राम तथा राजेन्द्र प्रसाद सिंह क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी जमशेदपुर द्वारा श्रीमती पी. सीतारामए प्रधानाध्यापिका भारती मध्य विद्यालय कदमा को गलत तरिके से संरक्षण देते हुए लाभ पहुँचाने के संबंध में ।	10.07.2012	उपायुक्त जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कारवाई बन्द कर दिया गया ।

## राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(राजस्व)02/08	अंचलाधिकारी कुडू लोहरदगा द्वारा ग्राम रोचो जिला लोहरदगा का सिलिंग लैंड को अवैद्य ढंग से स्थानान्तरण करने के संबंध में ।	07.07.2012	उपायुक्त लोहरदगा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें अंचलाधिकारी कुडू द्वारा किये गये जमाबंदी को निरस्त कर दिया गया के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(राजस्व)11/11	साधु चरण प्रसाद का 1987-88 में जमा राशि 13200/रु० का वापस भुगतान नहीं प्राप्त करने के संबंध में संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करने के संबंध में ।	04.07.2012	उपायुक्त राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को उनके द्वारा जमा की गई राशि से 1200/रु० कटौती के पश्चात राशि वापस करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## पुलिस विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पुलिस) 19/06	चाईबासा मुफसिल थाना काण्ड सं० 14/2006 दिनांक 05.02.2006 जी० आर नं० 74/06 अवर निरीक्षक ललन ठाकुर पर 10000.00 रु० घूस मांगने के संबंध में श्रीमति मोती कालुण्डिया का शिकायत ।	12.07.2012	परिवादीनी द्वारा पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त किये जान के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पुलिस)17/12	लालपुर थाना काण्ड सं० 34/2012के फरार अभियुक्त रमेश कुमार साहू के द्वारा अपराध में लिप्त रहने के संबंध में ।	07.07.2012	थाना प्रभारी लालपुर के जांच प्रतिवेदन जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा मामले की जांच पुरी कर न्यायालय में चार्ज शिट समर्पित किया जा चुका है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(पुलिस)02/12	घर का ताला तोड़ कर सामान गायब करना एवं फर्जी मालिक बन कर पुलिस पदाधिकारी को भाड़ा देने के संबंध में ।	25.07.2012	परिवाद मुख्य रूप से दो लोगों का निजि मामला है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

4.	02/लोक(पुलिस)06/12	राम यादव के हत्यारे एवं सहयोगी छोटा दरोगा शमीम अहमद थान चैनपुर जिला पलामू के गिरफ्तारी के संबंध में श्री सत्य नारायण यादव का शिकायत ।	07.07.2012	पुलिस द्वारा जांचोपरान्त न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः परिवाद पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर आवश्यकता नहीं है । अतः परिवाद को निरस्त कर दिया गया ।
5.	02/लोक(पुलिस)7/11	केन्द्रीय कारा भागलपुर के अधीक्षक द्वारा श्री बच्चू प्रसाद को माह फरवरी 1998का वेतन भुगतान नहीं होने पर श्रीमती शान्ति सिंहा का शिकायत ।	16.07.2012	संबंधित विभाग के रिपोर्ट तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य से प्रतीत होता है कि परिवादी के परिवाद का निराकरण हो गया है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
6.	02/लोक(पुलिस)8/11	श्री ज्वाला प्रसाद से प्राप्त शिकायत जिसमें दुमका नगर थाना केस सं0- 161/06 पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में ।	28.07.2012	पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें परिवादी द्वारा लगाये गये सारे आरोप निराधार बताया गया है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
7.	01/लोक(गृह)02/2011	राजमहल के सहायक उप कारापाल सुरेश यादव द्वारा बिना न्यायालय के आदेश के ही जेल में बन्द शंकर बागती को जेल से रिहा कर दिये जाने के संबंध में श्री अशोक कुमार सिंह का शिकायत ।	28.07.2012	आरोपी उप कारापाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ किया जा चुका है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1	01/लोक(पेयजल)06/11	मुख्य अभियंता सह कार्यपालक अभियंता राज्य जल मिशन में अनियमितता करने के संबंध में।	31.07.2012	परिवादी द्वारा परिवाद में उठाये गये बिन्दुओं पर विभाग द्वारा कार्रवाई करने तथा परिवादी द्वारा परिवाद समाप्त करने के लिखित याजना के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.)06/08	जामताड़ा जिला के बिन्दापाथर थाना के मौजा फुटाबांध के निवासी श्री नित्यानन्द सिंह तथा नदीयानन्द सिंह दोना पिता नकुल सिंह के द्वारा हरिजन आदिवासी अल्पसंख्यक एवं समाज के कमजोर वर्गों को कुचल कर सरकारी विकास योजनाओं को पैसा नजायज ढंग सेखा जाने के संबंध में ।	07.07.2012	जिला आपूर्ति पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवाद किसी गलत व्यक्ति द्वारा झुठा परिवाद करने का उल्लेख है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.)09/11	श्री डेग नरायण महतो सेवा निवृत्त लेखा लिपिक को सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	07.07.2012	उपायुक्त बोकारो से प्राप्त जांच रिपोर्ट जिसमें परिवादी को सेवानिवृत्त उपरान्त देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया के आलोक में परिवाद बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(ग्रा.वि.वि.)14/11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पोड़ैयाहाट के विरुद्ध श्री प्रदीप कुमार एवं अन्य के द्वारा दायर परिवाद ।	19.07.2012	उपायुक्त गोड्डा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप गलत पाये जाने के अलोक में परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.)14/11	नवम्बर 2006 से अप्रैल 2007 तक कार्यारत विकलांग कर्मचारी का बकाया राशि के भुगतान के संबंध में ।	09.07.2012	परिवादी से प्राप्त मंतव्य जिसमें उप निदेशक सर्द के प्रतिवेदन पर पूर्ण सहमति प्रदान किया तथा बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। इसी आलोक में परिवाद बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(ग्रा.अभि.सं)01/09	श्री नरायण भूतपूर्व वरीय लेखा लिपिक ग्रामय अभियंत्रण संगठनए कार्य प्रमंडल डालटेनगंज का सेवा पुस्तिका प्रमंडलीय उपायुक्त कार्यालय डालटेनगंज से सत्यापन कर नहीं भेजे जाने के संबंध में ।	09.07.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवादी के सभी पण्डित का निराकरण करने का उल्लेख है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## पथ निर्माण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पथ नि.)01/08	कार्यपालक अभियंता यात्रिक प्रमण्डल पथ निर्माण विभाग राँची द्वारा सरकारी राशि 1494250/-को हड़प कर खा जाने का आरोप ।	27.07.2012	पूर्व में परिवारी द्वारा प्रश्नगत मामले को लेकर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 2135/2008 दायर किया गया था जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवार झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अनतर्गत पोषणीय नहीं है ।

## कृषि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कृषि)02/2008	कृषि उत्पादन बाजार समिति बोकारो में पदस्थापित बाजार पर्यवेक्षक हरिनारायण ठाकुर का सेवा झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद से बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद में अविलम्ब सौपने के संबंध में ।	02.07.2012	निदेशक निगरानी, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवार पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(कृषि)24/11	श्री धर्मदेव मिश्र सेवा निवृत्त सर्वेक्षक गढ़वा को सेवान्त लाभ नहीं मिलने के संबंध में ।	6.7.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें परिवारी के परिवार का निराकरण कर दिया गया का उल्लेख है के आलोक में अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(कृषि)03/11	श्री उदय कान्त सिन्हा को सेवानिवृत्ति के तीन वर्ष के पश्चात भी सेवान्त लाभ नहीं मिलने के संबंध में ।	06.07.2012	परिवारी को सेवान्त लाभ का भुगतान कराया गया ।
4.	02/लोक(कृषि)09/09	राजेन्द्र प्रसाद भूमि संरक्षक सर्वे पदाधिकारी को सेवानिवृत्त लाभ नहीं मिलने के संबंध में ।	03.07.2012	परिवारी द्वारा पेंशन से संबंधित कागजात संबंधित विभाग को उपलब्ध नहीं करये जाने के कारण परिवारी को भुगतान नहीं किया गया, यदि परिवारी कागजात को विभाग को उपलब्ध करा देता है तो उसका भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा । अतः परिवार को बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(कृषि)03/06	स्व० राजेन्द्र प्रसादयादव सेवा निवृत्त अमीन कार्यालय जिला भूमि संरक्षण जमशेदपुर को दी गई द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नती के फलस्वरूप बकाये वेतन भुगतान के	07.07.2012	निदेशक भूमि संरक्षण झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवारी के बकाया का भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार परिवारी का वाद का निस्तारण कर दिया गया ।

		संबंध में ।		
6.	02/लोक(कृषि)07/2008	श्री हरिनारायण श्रीवास्तव सेवानिवृत्त सहायक अनु0 पदाधिकारी मिट्टी रसायन विद् गुमला को सेवानिवृत्त लाभ की राशि तथा बकाया वेतन महंगाई भत्ता आदि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	12.07.2012	उप निदेशक कृषि निदेशालय झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के बकाया का भुगतान कर दिया गया के आलोक में परिवाद बन्द कर दिया गया ।

## स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(स्वा.)01/12	दिनांक 01.03.11 से दिनांक 06.07.11 तक की कार्यावधि का वेतन आदि का भुगतान करने के संबंध में ।	16.07.2012	परिवादी द्वारा इस परिवाद से संबंधित रिट माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया था जिसमें अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। इस आदेश के आलोक में परिवादी को भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया । अतः परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(स्वा)05/2006	श्री रामजनम प्रसाद सेवानिवृत्त चिकित्सा सामाज सेवक जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय धनबाद का सामान्य भविष्य निधि राशि का भुगतान के संबंध में ।	07.07.2012	जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी धनबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवादी के सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया है के अलोक में परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(स्वा)144/05	आर.एम.सी.एच. के विस्थापित के आधार पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्त करने के संबंध में ।	07.07.2012	उपायुक्त राँची के प्रतिवेदन के अनुसार यह सरकार के स्तर से तथा सरकार के नितिगत फैसला से संबंधित विषय है जो अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
4.	02/लोक(स्वा.)05/08	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चक्रधरपुर द्वारा बिना विज्ञापन/टेंडर निकाले मनमानी तरीके से कार्यादेश दिये जाने के संबंध में ।	27.07.2012	परिवादी पूर्व में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में परिवाद में उठाये गये बिन्दुओं पर रिट सं० W.P@ No.214/2008 दाखिल किया है जो लम्बित है। अतः झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत यह परिवाद पोषणीय नहीं है।

## कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कार्मिक)04/08	प्रखंड विकास पदाधिकारी पोटका प्रखंड थाना पोटका जिला पूर्वी सिंहभूम द्वारा सरकारी पद शक्ति का दुरुपयोग कर असंवैधानिक कार्य करने के संबंध में कमलाकान्त भगत का शिकायत ।	25.07.2012	उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद अभी पूर्वी सिंहभूम के न्यायालय में लम्बित है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। परिवाद बन्द कर दिया गया ।

## वन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वन)08/2011	श्रीमती सुनयना शर्मा पत्नी स्व० सूर्यकान्त शर्मा भूतपूर्व सहायक वन संरक्षक पलामू व्याघ्र परियोजना डालटेनगंज के देय पावनाओं के संबंध में ।	28.07.2012	प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को सभी प्रकार के देय पावनाओं का भुगतान उनके बैंक के माध्यम से किया जा चुका है। इस दिशा में परिवादी से मन्तव्य प्राप्त नहीं हो सका अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(वन)02/06	श्री ए० के० गुप्ता क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक जमशेदपुर द्वारा रिश्वत मांगें जाने एवं परेशान किये जाने के संबंध में ।	25.07.2012	वन एवं पर्यावरण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद में लोकसेवक पर लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये हैं के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(वन)02/2011	श्री कृष्णानंद दुबे एवं कामेश्वर चौबे वनोपज अधिदर्शक झारखण्ड राज्य विकास निगम राँची को भेदभाव पूर्वक सेवा से हटाये जाने के संबंध में।	13.07.2012	परिवादी द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## विद्युत विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विद्युत)1/11	श्रीमती महामनी देवी पत्नी श्री चामा उराँव पीपरटोली अरगोड़ा राँची से प्राप्त शिकायत के संबंध में ।	26.07.2012	परिवादीनी के पति को झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यालय आदेश सं० 34 दिनांक 17.04.2012 के आलोक प्रोन्नति प्रदान कर दिया गया ।इस प्रकार परिवदीनी के परिवाद का निरकरण कराया गया ।

## कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(स० कल्याण)01/12	श्रीमती यशोदा देवी की सेविका चयन में श्री मोती लाल राम से प्राप्त शिकायत ।	12.07.2012	उपायुक्त गिरीडिह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा संस्कृत शिक्षा बोर्ड के द्वारा श्रीमती यशोदा देवी के प्रमाण पत्र को सही पाया गयाए के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई कर दिया गया ।
2.	02/लोक(कल्याण)03/06	स्व० शिवटहल राम ग्रेन गोला चौकीदार कल्याण कार्यालय गिरीडिह के आश्रित को देय पावना का भुगतान एवं अनुकम्पा पर नियुक्ति के संबंध में ।	09.07.2012	पूर्व में परिवादी द्वारा प्रश्नगत मामले को लेकर माननीय झारखण्ड उच्च न्ययालय में रिट सं० 2073/2011 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अनतर्गत पोषणीय नहीं है ।



## जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(जल सं०)10/09	श्री बलराम मिश्र सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (चालु प्रभार) गुण नियंत्रण प्रमंडल जमशेदपुर को छठा वेतन पुनरीक्षण के अनुसार बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में शिकायत ।	18.07.2012	उप निदेशक गुण नियंत्रण प्रमंडल जमशेदपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया इस संबंध में परिवादी से पर्याप्त पत्राचार के बाद भी मंतव्य प्राप्त नहीं हो सका इससे प्रतीत होता है कि परिवादी का परिवाद का निराकरण हो गया । अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(जल सं०)05/11	अब्दुल अजीज सेवा निवृत्त प्रारूपकार श्रेणी-दो जल पथ अंचल दुमका को सेवानिवृत्त उपरान्त सेवान्त लाभ एवं पेंशन भुगतान के संबंध में ।	09.07.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवादी के सभी परिवाद का निराकरण कर दिया गया का उल्लेख किया गया है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द दिया गया ।
3.	02/लोक(जल.सं.)02/08	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग दुमका अंचल द्वारा उपार्जित अवकाश की लम्बित राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	27.07.2012	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग दुमका के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद बन्द कर दिया गया ।

## विविध

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पो.ऑ.)01/09	विधवा शेफाली महतो का विधवा पेंशन का भुगतान पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस बोकारो सेक्टर तीन-डी द्वारा नहीं किये जाने के संबंध में शिकायत ।	05.07.2012	शिकायत केन्द्र सरकार के नियंत्राधीन डाकघर से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं । अतः परिवाद पोषणीय नहीं है ।
2.	02/लोक(विविध)02/12	श्री अजय कुमार सिन्दरी बलियापुर धनबाद द्वारा परीक्षा नियंत्रक झारखण्ड लोक सेवा आयोग के विरुद्ध भ्रष्टाचार	31.07.2012	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा परिवादी को प्रश्नवार अंक उपलब्ध करा दिया गया तथा आयोग पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है । अतः

		एवं कुप्रशासन के संबंध में ।		इस परिवाद पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।
3.	02/लोक(विविध) 14/12	झारखण्ड राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का जांच कराने के संबंध में ।	25.07.2012	अध्यक्ष खादी ग्राम उद्योग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## नगर विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(नगर विकास)01/2005	स्व० गणेश पाण्डेय भू० पू० स्वास्थ्य निरीक्षक हजारीबाग जिला पर्षद के सामान्य भविष्य निधि कोष मे जमा राशि के भुगतान के संबंध में ।	6.7.2012	उप निदेशक पंचायती राज्य निदेशालय से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को राशि का भुगतान कर दिया गया । इस संबंध में परिवादी से पर्याप्त पत्राचार के बाद भी मंतब्य प्राप्त नहीं हो सका । अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।

## श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(श्र.नि.)03/2011	ठेकेदार एवं पदाधिकारियों के मिलिभगत से मजदूरों को शोषण कर कम मजदूरी भुगतान के संबंध में ।	28.07.2012	संयुक्त श्रमायुक्त झारखण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के शिकायत का निराकरण कर दिया गया है । अतः परिवाद पत्र पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(भवन)1/11	भवन प्रमंडल -2 द्वारा विद्युतिकरण एवं सम्पोषण कार्यों का वर्ष2008.09 अन्तर्गत कृत नविदा के आलोक में आवंटन एवं कार्यादेश दिलाने के संबंध में श्री जय प्रकाश तिवारी से प्राप्त शिकायत ।	14.07.2012	पूर्व में परिवादी द्वारा प्रश्नगत मामले को लेकर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट सं० 1178/2008 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है ।

## शिकायत /परिवाद

जुलाई, 2012

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं० 306/2011	ग्राम मकडीहा के डीलर द्वारा राशन वितरण में धांधली करने, किरासन तेल तथा आनाज का कालाबाजारी करने एवं हाईकोर्ट के आदेश की अहवेलना करने के संबंध में ।	06.07.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं० 438/2012	सूचना छिपाने, तथ्यों को जानबुझ कर गलत व्याख्या कर अनिवार्य सेवा निवृत्त की सजा देने के संबंध में गिरिजेश कुमार सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक का शिकायत ।	07.07.2012	शिकायत राज्य सरकार के सेवा शर्त नियमावली से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 पोषणीय नहीं है।
3.	शिकायत सं० 240/11	संजीव कुमार हिनू राँची द्वारा दुर्गा डेपलेपर्स के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से खाता सं० 23 थाना सं० 225 प्लाट सं० 450 मौजा हिनू पर अवैध निर्माण के संबंध में ।	07.07.2012	परिवाद दो लोगों का निजी मामला है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।

4.	शिकायत सं0 454 / 12	जमीन की अद्यतन स्थिति नहीं बताने तथा सीमांकन में टाल मटोल करने के संबंध में श्री दौलत पंडित का शिकायत ।	09.07.2012	इस प्रकार के मामले जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते हैं अतः शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो सकता है।
5.	शिकायत सं0 393 / 12	किशोर न्यास बोर्ड के सदस्य एवं बाल विकास समिति के अध्यक्ष/ सदस्य के नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में सुचित्रा झा का शिकायत ।	07.07.2012	किशोर न्यास बोर्ड के सदस्य एवं बाल विकास समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा होता है । अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
6.	शिकायत सं0 158 / 12	भूमि अतिक्रमण के संबंध में श्री एन. के. सिन्हा से प्राप्त शिकायत ।	07.07.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं0 94 / 12	श्री देव दत्त दास रेणु, संयुक्त वाणिज्यकर आयुक्त जमशेदपुर द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में शिकायत ।	03.07.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं0 450 / 12	झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के नियुक्तियों में निःशक्तजनों को आरक्षण से वंचित किये जाने के संबंध में ।	24.07.2012	शिकायत किसी लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद या अभिकथन न होकर सरकार के नितिगत मामलों से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
9.	शिकायत सं. 389 / 12	JPSC चतुर्थ सिविल सेवा PT परीक्षा के रिजल्ट में हुए गड़बड़ीयों की उच्च स्तरीयजांच कराये जाने के संबंध में शिकायत ।	07.07.2012	झारखण्ड लोक सेवा आयोग से संबंधित मामले झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं0 407 / 12	किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा विगत चार वर्षों से मेरे मामले मे कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत ।	07.07.2012	शिकायत झारखण्ड राज्य से बाहर बंगाल से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
11.	शिकायत सं0 379 / 12	भारतीय स्टेट बैंक के जमुआ शाखा के शाखा प्रबंधक द्वारा फिक्स डिपोजिट की रकम हड़पने के संबंध में शिकायत ।	07.07.2012	कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते है। अतः

				परिवाद पोषणीय नहीं है।
12.	शिकायत सं0 417/12	मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खादान सेल प्रबंधन के उपर मुकदमा दर्ज करने के संबंध में शिकायत ।	07.07.2012	सेल प्रबंधन भारत सरकार का लोक उपक्रम है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते है।
13.	शिकायत सं. 34/12	अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा श्री ए. के. रतन द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार कुकृत्य के संबंध में श्री रवि शंकर प्रसाद चतरा द्वारा प्रेषित शिकायत ।	07.07.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं0 479/12	श्रीमती मीना सिंह के पति स्व0-जितेन्द्र प्रसाद तत्कालिन वन क्षेत्र पदाधिकारी हाट. गम्हरिया लौंगिग प्रक्षेत्र चाईबासा राजकीय व्यापार प्रमण्डल चाईबासा-2 चाईबासा का मृत्योपरान्त मिलने वाले पावनाओं के संबंध में ।	13.07.2012	परिवादी अपने परिवाद के निराकरण के लिए पूर्व में ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था जिसमें अंतिम आदेश भी पारित किया जा चुका है एसी दशा में परिवाद किसी प्रकार की कार्रवाई संभव नहीं है।
15.	शिकायत सं0 365/12	समाहरणालय हजारीबाग द्वारा आयोजित चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हेतु चयन परीक्षा में चयन होने के बावजूद नियुक्ति नहीं होने के संबंध में श्री राकेश कुमार सिंह का शिकायत ।	07.07.2012	शिकायत नियुक्ति से संधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
16.	शिकायत सं0 616/11	जिला पशुपालन पदाधिकारी गिरिडीह द्वारा पद का दुरुपयोग कर श्री शंकर कुमार पाण्डेय लिपिक पशु चिकित्सालय को अनियमित रूप से लाभ पहुँचाने के संबंध में श्री सुखदेव प्रसाद से प्राप्त शिकायत ।	13.07.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं0 309/12	निबंधक सहयोग समितियाँ झारखण्ड राँची के द्वारा फ्लैट के लम्बित रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में कार्रवाई नहीं करने के संबंध में अरुण काली एवं अरुणधती काली का शिकायत ।	13.07.2012	परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है ऐसी दशा में यह शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद संचिकास्त कर दिया गया ।
18.	शिकायत सं0 388/12	पूर्वी सिंहभूम में शिक्षा विभाग में वर्षों से पदस्थापित लिपिकों का स्थानान्तरण करने के संबंध में शशि भूषण कुमार का शिकायत ।	07.07.2012	स्थानान्तरण से संबंधित मामले झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अनतर्गत नहीं आते है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं हैं।

19.	शिकायत सं. 518/11	ध्रुवभगत तत्कालिन सचिव, वी.एल.एन.एल. बोहरा इंटर कॉलेज राजमहल पर फर्जी तरिके से कॉलेज के नाम पर अनुदान की राशि हड़पने के षडयंत्र के संबंध में अनिल कुमार चौरसिया अधिवक्ता साहेबगंज का परिवाद।	13.07.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
20.	शिकायत सं0 447/12	चयनोपरान्त नियुक्ति नहीं होने के संबंध में श्री लखनदेव सिंह गिरिडीह का शिकायत।	07.07.2012	परिवाद कालबाधित रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
21.	शिकायत सं. 483/12	चिरिया ओ.पी. प्रभारी मिसिर उरॉव के द्वारा परिवादी श्री पवन किशोर सिंह एवं रोबी लकड़ा के आवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के संबंध में।	21.07.2012	यह मामला पूर्व में ही एस.डी.ओ. चक्रधरपुर के न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
22.	शिकायत सं0 48/61/12	माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के याचिका सं0 5375/09 दिनांक 25.11.2010 में पारित नयायादेश के अनुपालन नहीं होने के संबंध में श्रीमती सुशीला देवी, पुरानी दुमका का शिकात।	13.07.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
23.	शिकायत सं. 330/12	श्री नंद किशोर राम द्वारा श्री शिव प्रसाद साव क विरुद्ध दिवाल बनाकर अतिक्रमण का शिकायत।	09.07.2012	परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है ऐसी दशा में यह शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद संचिकास्त कर दिया गया।
24.	शिकायत सं.436/12	बन्दोबस्ती जमीन को बिक्री करने के संबंध में श्री नरेश पंडित लखीसराय, बिहार का शिकायत।	12.07.2012	परिवाद पूर्व में ही उपायुक्त देवघर के न्यायालय में लम्बित है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
25.	शिकायत सं. 493/12	ग्रामीणों द्वारा बन्दोबस्त जमीन को हड़पने का प्रयास करने के संबंध में श्री राजेन्द्र दास मधुपुर देवघर का शिकायत।	20.07.2012	यह शिकायत दो व्यक्तियों का निजी मामला है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अनतर्गत पोषणीय नहीं है।
26.	शिकायत सं. 406/12	सेवानिवृति के पश्चात वेतन का पुनः निर्धारण कर देय वेतन एवं पेंशन राशि में कटौती करने के संबंध में नागेश्वर कुमार, बुटीमोड़ राँची का शिकायत।	28.07.2012	परिवादी पूर्व में इस मामले से संबंधित रिट सं. 5257/2010 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दाखिल किया है। ऐसी दश में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।

27.	शिकायत सं. 528/12	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में सत्येन्द्र नरायण मुंडा का शिकायत ।	26.07.2012	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में ही इस परिवाद से संबंधित उपचार वर्तमान है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
28.	शिकायत सं. 529/12	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में शिव कुमार सिंह का शिकायत ।	26.07.2012	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में ही इस परिवाद से संबंधित उपचार वर्तमान है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
29.	शिकायत सं. 520/12	विशे I प्रमंडल लोहरदगा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करये जाने के संबंध में ।	26.07.2012	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में ही इस परिवाद से संबंधित उपचार वर्तमान है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
30.	शिकायत सं. 527/12	राज्य विभाजन से पूर्व का बकाया राशि के भुगतान के संबंध में श्री दिनेश्वर प्रसाद वर्मा का शिकायत ।	26.07.2012	परिवाद वित्त विभाग के पत्रांक 5207/वि दिनांक 14.08.2002 के आलेक में परिवाद पोषणीय नहीं है ।
31.	शिकायत सं0 457/12	दुमका कमिश्नर आफिस के पेशकार श्री अलखनन्दन मंडल के विरुद्ध श्री घनश्याम राउत का शिकायत ।	09.07.2012	परिवाद किसी दुसरे व्यक्ति के बदले में किया गया है तथा त्रुटिपूर्ण है अतः परिवाद को निरस्त कर दिया गया ।
32.	शिकायत सं0 440/12	बैंक ऑफ इन्डिया हिरोडीह शाख गिरिडीह में व्याप्त भ्रष्टाचार को जांच कराये जाने के संबंध में ।	09.07.2012	किसी भी राष्ट्रीय बैंक के विरुद्ध परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
33.	शिकायत सं. 463/12	एनसीसी अर्बन इन्फ्रास्टक्चरल लिमिटेड कंपनी द्वारा विकसित नेशनल गेम्स हाउसिंग काम्पलेक्श से संबंधित नागरिकों के साथ घोखाधड़ी एवं मानव जीवन को खतरे में डाले जाने संबंधी शिकायत ।	20.07.2012	परिवाद एनसीसी अर्बन इन्फ्रास्टक्चरल लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध किया गया है जो एक प्राईवेट पार्टी है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।